शाह नवाज

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2011 की आपराधिक अपील संख्या 1531)

05 अगस्त 2011

[पी. सदाशिवम और डॉ. बी.एस. चौहान, जे.जे.]

किशोर न्याय/बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 - किशोर होने का दावा - भा.द.स. की धारा 302 और 307 के तहत अपराध करने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष अपीलकर्ता की मां द्वारा दायर आवेदन कि उसके बेटे के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर कथित घटना के समय वह नाबालिग था - आवेदन की अनुमति - सत्र न्यायाधीश ने बोर्ड द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया - किसी भी मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को बरकरार रखा गया - अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः प्रस्तुत दस्तावेज - स्कूल प्राधिकरण द्वारा जारी हाई स्कूल परीक्षा की मार्कशीट और प्राथमिक विद्यालय द्वारा जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता की जन्मतिथि 18.06.1989 अंकित थी। मार्कशीट में दर्ज जन्मतिथि से संबंधित प्रविष्टि और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र भी आरोपी व्यक्ति की उम्र के

निर्धारण के लिए साक्ष्य के वैध प्रमाण हैं - अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत हाई स्कूल मार्कशीट में अंकित जन्मतिथि की विधिवत पुष्टि अपीलकर्ता के दसवीं कक्षा के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र द्वारा होती है और विद्यालय के क्लर्क और प्रिंसिपल के बयान से भी साबित हुआ है - अपीलकर्ता की माँ ने उसके शैक्षणिक रिकॉर्ड की पुष्टि की है जो स्पष्ट रूप से उसकी जन्मतिथि 18.06.1989 दर्शाती है और एफआईआर में बताई गई घटना की तारीख पर अपीलकर्ता किशोर था - इस प्रकार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने उन दस्तावेजों में उल्लिखित जन्म तिथि की अनदेखी करते हुए अपीलकर्ता की उम्र निर्धारित करने में त्रुटि की, जो कि अवैध, गलत और नियमों के विपरीत है - बोर्ड के निर्णय को बरकरार रखा जाता है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त किया जाता है - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2000।

अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत अपराध करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अपीलकर्ता की मां ने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष एक आवेदन दायर किया कि कथित घटना की तारीख पर नाबालिग किशोर था। गवाहों से जिरह की गई और बोर्ड ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता को किशोर घोषित कर दिया। मृतक की शिकायतकर्ता-पत्नी ने अपील दायर की और बोर्ड द्वारा पारित आदेश अपास्त कर दिया। एक तरफ. अपीलकर्ता ने आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया। उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण को इस आधार पर खारिज कर दिया कि किसी मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के अभाव में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12 में इस्तेमाल की गई भाषा केवल प्रमाण पत्र के संदर्भ में थी, न कि अंकतालिका के संदर्भ में। इसलिए, अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1.1. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 का नियम 12, जो अधिनियम के अनुसरण में लाया गया था, साक्ष्य की चार श्रेणियों का वर्णन करता है जिसमें स्कूल प्रमाण-पत्र को मेडीकल रिपोर्ट से प्राथमिकता दी गई है। नियमों के नियम 12 में श्रेणीवार प्रावधान किया गया है कि मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय केवल तभी मांगी जानी चाहिए जब मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र या निगम या

किसी पंचायत या नगर पालिका द्वारा जारी कोई जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो। [पैरा 19 और 21] [873-बी-सी; 874-बी]

1.2. दस्तावेज़ों में स्कूल प्राधिकरण द्वारा जारी हाई स्कूल परीक्षा की और प्राथमिक विद्यालय द्वारा जारी दिनांक 11.07.2007 का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलकर्ता की जन्म तिथि 18.06.1989 अंकित की गई थी। अंकतालिका में दर्ज जन्मतिथि से संबंधित प्रविष्टि किसी आरोपी व्यक्ति की उम्र के निर्धारण के लिए वैध सबूतों में से एक है। स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र भी आरोपी व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने में एक वैध प्रमाण है। इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत हाई स्कूल मार्कशीट में उल्लिखित जन्मतिथि की सम्यक पुष्टि दसवीं कक्षा के अपीलकर्ता के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र द्वारा की गई है और बोर्ड द्वारा दर्ज किए गए स्कूल के क्लर्क के बयान से भी साबित किया गया है। स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किए गए स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में भी अपीलकर्ता की जन्म तिथि 18.06.1989 दर्ज की गई है, साथ ही उक्त स्कूल के स्कूल रजिस्टर में भी यही जन्मतिथि अंकित है, जो कि बोर्ड के सामने दर्ज किये गये स्कूल के प्रिंसीपल के बयानों से साबित है। स्कूल के क्लर्क और प्रिंसिपल के अलावा, अपीलकर्ता की मां ने भी शपथ पर स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अपीलकर्ता का जन्म 18.06.1989 को हुआ था और प्रारंभिक से लेकर दसवीं कक्षा तक के शैक्षणिक रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि एक ही अर्थात 18.06.1989 है। इस प्रकार, उनके बयान

ने उनके अकादमिक रिकॉर्ड की पुष्टि की, जो स्पष्ट रूप से उनकी जन्मतिथि 18.06.1989 बताती है। इस प्रकार, एफआईआर में अभिकथित घटना की तारीख पर अपीलकर्ता किशोर था। [पैरा 20} [873-डी-एच; 874-ए-बी]

1.3 स्वीकार्य रिकॉर्ड से, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलकर्ता की जन्म तिथि 18.06.1989 है। हालाँकि बोर्ड ने मार्कशीट और स्कूल प्रमाणपत्र में जन्मतिथि से संबंधित प्रविष्टि को सही ढंग से स्वीकार कर लिया, लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने उन दस्तावेजों में उल्लिखित जन्मतिथि की अनदेखी करते हुए अपीलकर्ता की उम्र निर्धारित करने में गंभीर त्रुटि की। जो कि अवैध, त्रुटिपूर्ण एवं नियमों के विपरीत है। बोर्ड के फैसले को बरकरार रखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश और हाई कोर्ट के आदेश को अपास्त किया जाता है, अपराध कारित होने की तिथि पर अपीलकर्ता को किशोर घोषित किया जाता है और उस पर कानून के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। [पैरा 19 और 22] [873-बी-सी; 874-सी-डीआई

राजू और अन्य बनाम हरियाणा राज्य 2010 (3) एससीसी 235: 2010 (2) एससीआर 574; हरि राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य। 2009 (13) एससीसी 211: 2009 (7) एससीआर 623; भूप राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1989 (3) एससीसी 1: राजिंदर चंद्र बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य 2002 (2) एससीसी 287; अर्नित दास बनाम बिहार राज्य (2000) 5 एससीसी 488: 2000 (1) पूरक एससीआर 69;, रविंदर

सिंह गोरखी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2006 (5) एससीसी 584: 2006 (2) पूरक एससीआर 615; प्रदीप कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य" 1995 पूरक (4) एससीसी 419 - संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ:

2010 को (2) एससीआर 574	संदर्भित	पैरा 7
2009 को (7) एससीआर 623	संदर्भित	पैरा 7
1989 को (3) एससीसी 1	संदर्भित	पैरा 8
2002 को (2) एससीसी 287	संदर्भित	पैरा 9
2000 को (1) पूरक एससीआर 69	संदर्भित	पैरा 10
2006 (2) पूरक एससीआर 615	संदर्भित	पैरा 11
1995 पूरक (4) एससीसी 419	संदर्भित	पैरा 12

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2011 की आपराधिक अपील संख्या 1531।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2009 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 716 में निर्णय और आदेश दिनांक 10.12.2010 से।

अपीलकर्ता की ओर से दिनेश कुमार गर्ग, बी.एस. बिल्लोरिया, अभिषेक गर्ग, धनंजय गर्ग।

प्रतिवादियों की ओर से आर.के. गुप्ता, राजीव दुबे, कमलेंद्र मिश्रा।

न्यायालय का निर्णय **पी. सदाशिवम, जे.** द्वारा अभिनिर्धारित किया गया 1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील 2009 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 716 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 10.12.2010 के विरुद्ध निर्देशित है। जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया।

3) संक्षिप्त तथ्य:

(ए) अपीलकर्ता का दावा है कि उसका जन्म 18.06.1989 को गांव और पोस्ट दधेरू कला, पुलिस स्टेशन चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी में हुआ था। उसे 05.07.1994 को नेहरू प्रिपरेटरी स्कूल, खुर्द, मुजफ्फरनगर में कक्षा में दाखिला दिया गया था और वहां 20.05.1998 तक पढ़ाई की। इसके बाद, 04.07.1998 को, उसे नेशनल हाई स्कूल दधेरू, खुर्द-ओ-कलां, मुजफ्फरनगर में कक्षा VI में प्रवेश मिल गया और दसवीं कक्षा तक वहां पढ़ाई की। मार्कशीट में जन्म तिथि 18.06.1989 अंकित है।

(बी) 04.06.2007 को, मृतक नवाब की पत्नी खतीजन द्वारा कथित घटना के लिए अपीलकर्ता और तीन अन्य के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में "एफआईआर") दर्ज की गई थी, जो अपराध मामला संख्या 215/2007 पुलिस स्टेशन चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी में भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "आईपीसी") की धारा 302 और 307 के तहत परिणत हुई।

(सी) 12.06.2007 को, अपीलकर्ता की मां ने किशोर न्याय बोर्ड (संक्षेप में "बोर्ड"), मुजफ्फरनगर, यूपी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि कथित घटना के समय अपीलकर्ता नाबालिग था। गवाहों की जांच करने के बाद, बोर्ड ने निर्णय और आदेश दिनांक 24.01.2008 के तहत अपीलकर्ता को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत किशोर घोषित किया।

(डी) बोर्ड के फैसले के खिलाफ, खतीजन - मृतक की पत्नी ने अधिनियम की धारा 52 के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर, यूपी के समक्ष 2008 की आपराधिक अपील संख्या 11 दायर की। राज्य-प्रतिवादी नंबर 1 ने कोई अपील दायर नहीं की। दिनांक 13.01.2009 के फैसले के तहत, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपील स्वीकार की और बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 24.01.2008 के आदेश को रद्द कर दिया।

(ई) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2009 को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 716/2009 दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.12.2010 के आक्षेपित निर्णय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। इसलिए विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील पेश की।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री दिनेश कुमार गर्ग और राज्य के विद्वान वकील श्री आर.के. गुप्ता को सुना गया। नोटिस के बावजूद प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

5. अपीलकर्ता के दावे के गुण-दोष और राज्य के रुख पर विचार करने से पहले, आइए हम किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 12 पर विचार करें, जो निम्नानुसार:-

> **"12. आयु के निर्धारण में पालन की जाने वाली प्रक्रिया। (1)** विधि से संघर्षरत किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, अदालत या बोर्ड या जैसा भी मामला हो, इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति उस उद्देश्य के लिए आवेदन करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे किशोर या बच्चे या कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु निर्धारित करेगा।
>
> (2) न्यायालय या बोर्ड या जैसा भी मामला हो समिति किशोर या बच्चे के किशोर होने या अन्यथा होने या जैसा भी मामला हो, विधि से संघर्षरत किशोर की शारीरिक उपस्थिति या दस्तावेजों, यदि उपलब्ध हो, के आधार पर प्रथम दृष्टया निर्णय करेगा और उसे अवलोकन गृह या जेल में भेज देगा।

(3) विधि से संघर्षरत किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, आयु निर्धारण जांच अदालत या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा निम्न से साक्ष्य प्राप्त करके आयोजित की जाएगी-

(ए) (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;

(ii) उस स्कूल (प्ले स्कूल के अलावा) से जन्मतिथि प्रमाण पत्र जिसमें पहली बार उपस्थित हुआ था; और उसके अभाव में;

(iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;

(बी) और केवल उपरोक्त खण्ड (ए) के (i), (ii) या (iii) की अनुपस्थिति में एक विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय मांगी जाएगी, जो किशोर या बच्चे की उम्र की घोषणा करेगा। यदि उम्र का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, यदि आवश्यक समझे जाए, एक वर्ष के अंतर के भीतर उसकी उम्र को कम मानते हुए बच्चे या किशोर को लाभ दे सकता है।

और, ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, उपलब्ध साक्ष्य, या जैसा भी मामला हो, चिकित्सा राय पर विचार करने के बाद,

उसकी उम्र और किसी भी में निर्दिष्ट साक्ष्य के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज किया जाएगा। खंड (ए)(i), (ii), (iii) या उसके अभाव में, खंड (बी) ऐसे बच्चे या किशोर या विधि से संघर्षरत किशोर के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा।

(4) यदि किसी किशोर या बच्चे या विधि से संघर्षरत किशोर की उम्र अपराध की तिथि पर 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो उप नियम (3), में निर्दिष्ट किसी भी निर्णायक सबूत के आधार पर। जैसा भी मामला हो, अदालत या बोर्ड या समिति लिखित रूप में अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजन के लिए आयु बताते हुए और किशोरता की स्थिति या अन्यथा घोषित करते हुए एक आदेश पारित करेगी और आदेश एक प्रति ऐसे किशोर या संबंधित व्यक्ति को दी जायेगी।

(5) अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम की धारा 7ए, धारा 64 और इन नियमों के संदर्भ में, सिवाय इसके कि जहां आगे की जांच या अन्यथा की आवश्यकता है, को छोड़कर, जांच करने और इस नियम के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र या कोई अन्य दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त करने के बाद अदालत या बोर्ड द्वारा कोई और जांच नहीं की जाएगी।

(6) इस नियम में निहित प्रावधान उन निस्तारित मामलों पर भी लागू होंगे, जहां किशोरता की स्थिति उप-नियम (3) और

अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित नहीं की गई है, जिसके तहत सजा की व्यवस्था आवश्यकता है एवं विधि से संघर्षरत किशोर के हित में उचित आदेश पारित करने के लिए आवश्यकता है।"

6. बच्चे या किशोर की आयु निर्धारित करने में अपनाई जाने वाली उपरोक्त प्रक्रिया के आलोक में, आइए इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करें।

7. राजू और अन्य में बनाम हरियाणा राज्य (2010) 3 एससीसी 235, इस न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने में "मार्कशीट" को सबूतों में से एक के रूप में स्वीकार किया था। उस मामले में, अपीलकर्ताओं राजू और मंगली के साथ-साथ अनिल उर्फ बल्ली और सुच्चा सिंह को कथित तौर पर आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध करने के विचारण के लिए भेजा गया था। आरोपी सुच्चा सिंह को किशोर पाया गया और उसके मामले को अधिनियम के तहत अलग विचारण के लिए अलग कर दिया गया। अन्य को आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास और 5,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। जहां तक अपीलकर्ता नंबर 1, राजू का संबंध है। अभियोजन मामले की योग्यता पर तर्क देने के अलावा, उसके लिए उपस्थित वकील ने प्रस्तुत किया कि घटना की तारीख (31.03.1994) को, वह किशोर था और उसकी

मार्कशीट के अनुसार, जिसमें उसकी जन्मतिथि 1977 दर्ज थी, घटना की तारीख पर उसकी उम्र 17 वर्ष से कम थी। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हरि राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, (2009) 13 एससीसी 211 में इस न्यायालय के हालिया फैसले को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता नंबर 1 को घटना की तारीख पर नाबालिग माना जाना चाहिए और अधिनियम के प्रावधान उसके मामले में लागू होंगे। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि उपरोक्त मामले में निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता नंबर 1 के साथ उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत निपटा जाना होगा। गुण-दोष के आधार पर, आरोपी-अपीलकर्ता के विद्वान वकील के दावे को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा को बदल दिया और धारा 302 सपठित धारा 34 आईपीसी के बजाय धारा 304 भाग 1 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया। जहां तक अपीलकर्ता नंबर 1, अर्थात् राजू का संबंध है, ने मार्कशीट में जन्मतिथि से संबंधित प्रविष्टि को स्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 20 के संदर्भ में धारा 15 के अनुरूप कार्य करने के लिए बोर्ड को मामला भेजा गया, जिसे उक्त अधिनियम प्रावधानों के तहत निपटाया जाएगा। उक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए मार्कशीट को एक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है।

8. इसी तरह, इस न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में जन्मतिथि को वैध प्रमाण

माना है। भूप राम बनाम यूपी राज्य में (1989) 3 एससीसी 1 में इस न्यायालय ने विचार किया कि क्या अपीलकर्ता आजीवन कारावास से कम कारावास का हकदार है और उसे यूपी बाल अधिनियम, 1951 (1) की धारा 2(4) के अर्थ में "बच्चे" के रूप में माना जाना चाहिए था। 1952 का) पैरा 7 में निम्नलिखित निष्कर्ष प्रासंगिक है जो इस प्रकार है:-

> "7...पहला यह है कि अपीलकर्ता ने एक स्कूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें "जन्मतिथि" कॉलम के सामने 24-6-1960 की तारीख अंकित है। हमारे सामने यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि स्कूल प्रमाणपत्र अपीलकर्ता से संबंधित नहीं है या उसमें दी गई प्रविष्टियाँ उनके विवरण में सही नहीं हैं...."

उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र में "जन्मतिथि" कॉलम में की गई प्रविष्टि पर भरोसा किया।

9. राजिंदर चंद्र बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य (2002) 2 एससीसी 287 में इस न्यायालय ने एक बार फिर अंकतालिका में जन्मतिथि से संबंधित प्रविष्टि पर विचार किया और निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:

> "5. यह सच है कि अभियुक्त की उम्र अभी सोलह साल की सीमा पर है और अपराध और उसकी गिरफ्तारी की तारीख पर उसकी उम्र 16 साल से केवल कुछ महीने ही कम थी। अर्नित दास बनाम बिहार राज्य में इस न्यायालय ने न्यायिक राय की

समीक्षा पर यह माना है कि आरोपी की उम्र के निर्धारण के सवाल से निपटते समय यह पता लगाने के लिए कि वह किशोर है या नहीं, अभियुक्त की ओर से इस दलील के समर्थन में कि वह किशोर था। प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय अति तकनीकि दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए और यदि उक्त साख्य के आधार पर दो दृष्टिकोण संभव हो सकते हैं, तो अदालत को सीमावर्ती मामलों में अभियुक्त को किशोर मानने के पक्ष में झुकना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित यह कानून वर्तमान मामले के तथ्यों पर बिल्कुल लागू होता है।

10. अर्नित दास बनाम बिहार राज्य, (2000) 5 एससीसी 488 में, इस न्यायालय ने माना कि किसी आरोपी की उम्र के निर्धारण के सवाल पर विचार करते समय, यह पता लगाने के उद्देश्य से कि वह किशोर है या नहीं। आरोपी की ओर से इस दलील कि वह एक किशोर है, के समर्थन में पेश किए गए सबूतों की सराहना करते समय अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए कि और यदि उसी साक्ष्य के आधार पर दो दृष्टिकोण संभव हो सकते हैं, तो अदालत को सीमावर्ती मामले में अभियुक्त को किशोर मानने के पक्ष में झुकना चाहिए।

11. रविंदर सिंह गोरखी बनाम यूपी राज्य में (2006) 5 एससीसी 584 स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र में की गई प्रविष्टियों के संबंध में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:-

"17. कहा जाता है कि स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र वर्ष 1998 में जारी किया गया था। उक्त प्रमाण पत्र को देखने से पता चलता है कि अपीलकर्ता को 1-8-1967 को दाखिला दिया गया था और दिनांक 06.05.1972 को संस्था के रोल से उसका नाम काट दिया गया था । उक्त स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र स्कूल के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में जारी नहीं किया गया था। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 में निहित कानून की आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में उक्त जन्मतिथि दर्ज की गई। उक्त हेडमास्टर द्वारा आगे कोई बयान नहीं दिया गया है कि अपीलकर्ता के माता-पिता में से कोई भी जो उसके प्रवेश के समय उसके साथ स्कूल गया था। इस संबंध में कोई बयान दिया था या उसके संबंध में कोई सबूत प्रस्तुत किया गया था। स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में की गई प्रविष्टियाँ, स्पष्ट रूप से मामले के उद्देश्य के लिए तैयार की गई थीं। अपीलकर्ता के चरित्र सहित सभी आवश्यक कॉलम भरे गए थे। ऐसा मामला नहीं था कि कहा जा सके कि उक्त हैडमास्टर रजिस्टर में एंट्री करने से पहले उम्र का सत्यापन किया गया था। यदि व्यवसाय के नियमित पाठ्यक्रम का कोई रजिस्टर स्कूल में रखा जाता था, तो इसका कोई कारण नहीं था कि उसे प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया।"

12. प्रदीप कुमार बनाम यूपी राज्य में 1995 सप्लिमेंट (4) एससीसी 419, इस न्यायालय ने 16 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों द्वारा अपराध किये जाने पर विचार किया। तीन न्यायाधीशों की बेंच के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या उन अपीलों में प्रत्येक अपीलकर्ता यूपी चिल्ड्रन एक्ट, 1951 की धारा 2(4) के तहत एक बच्चा था और इस प्रकार आईपीसी धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराए जाने पर इसे 18 वर्ष की उम्र तक के लिए एक अनुमोदित निरोध विद्यालय में भेजा जाना चाहिए था। विशेष अनुमति प्रदान करते समय, अपीलकर्ता, जिसका नाम जगदीश था, ने हाई स्कूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार घटना के समय उसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी। अपीलकर्ता -कृष्णकांत ने कुंडली पेश की जिससे पता चला कि घटना के समय उनकी उम्र 13 वर्ष थी। जहाँ तक अपीलकर्ता प्रदीप की बात है - इस न्यायालय द्वारा एक मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई थी जिसमें खुलासा हुआ था कि उनकी जन्मतिथि 07.01.1959 चिकित्सा अधिकारियों द्वारा किए गए विभिन्न परीक्षणों के आधार पर स्वीकार्य थी। उपरोक्त तथ्यात्मक परिदृश्य/विवरण में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला: -

> "3. इस प्रकार यह इस न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित हुआ है कि घटना की तारीख पर, अपीलकर्ताओं ने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी और इस प्रकार उन्हें अधिनियम की धारा

302/34 के तहत दोषसिद्धि कारावास की सजा के बजाय यूपी बाल अधिनियम के तहत निपटाया जाना चाहिए था।

ऐसा कहने के बाद और यह पता चलने के बाद कि अपीलकर्ताओं की उम्र 30 वर्ष से अधिक थी, इस न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों के तहत दोषी ठहराते हुए उन्हें यूपी बाल अधिनियम के तहत हिरासत में लेने के लिए किसी अनुमोदित स्कूल में नहीं भेजने का निर्देश दिया। उन्हें दी गई सज़ा को रद्द कर दिया और उनकी तुरंत रिहाई का आदेश दिया।

13. "किशोर" और "विधि से संघर्षरत किशोर" के संबंध में अधिनियम और नियमों की प्रयोज्यता पर इस न्यायालय द्वारा हरि राम (सुप्रा) में विस्तृत रूप से विचार किया गया है। अधिनियम की योजना और नियम 12 सहित विभिन्न नियमों और इस न्यायालय के पहले के निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद पालन किए जाने वाले विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। उन सिद्धांतों को लागू करने के बाद और यह पाया गया कि अपीलकर्ता कथित अपराध की तारीख पर 16 वर्ष का था और उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी, मामले को कानून के अनुसार निस्तारण के लिए बोर्ड को भेज दिया गया।

गुणावगुण पर चर्चा:

14. उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, अब हम अपीलकर्ता के दावे पर विचार करते हैं। उनके अनुसार उनका जन्म 18.06.1989 को ग्राम व पोस्ट

दधेरू कला, थाना चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी में हुआ था। 05.07.1994 को उनका दाखिला नेहरू प्रिपरेटरी स्कूल, खुर्द, मुजफ्फरनगर में कक्षा एक में कराया गया था। अपीलकर्ता ने 20.05.1998 को उक्त स्कूल छोड़ दिया। 04.07.1998 को, उन्हें नेशनल हाई स्कूल दधेरू, खुर्द-ओ-कलां, मुजफ्फरनगर, यूपी में कक्षा VI में दाखिला दिया गया था। 21.05.2004 को, हाई स्कूल में फेल होने के कारण उन्होंने उक्त स्कूल, नेशनल हाई स्कूल छोड़ दिया। कक्षा छह से कक्षा दस तक अपीलकर्ता उक्त विद्यालय में लगातार रहा और अध्ययन किया। मार्कशीट में जन्म तिथि 18.06.1989 अंकित है। कथित घटना 04.06.2007 को घटित हुई। एफआईआर 04.06.2007 को दर्ज की गई थी, जो आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत पुलिस स्टेशन चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी में 2007 के अपराध मामले संख्या 215 में परिणत हुई। 12.06.2007 को, अपीलकर्ता की मां ने मुजफ्फरनगर में बोर्ड के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि कथित घटना के समय अपीलकर्ता नाबालिग था। अपीलकर्ता को नेहरू प्रिपरेटरी स्कूल, खुर्द, मुजफ्फरनगर से दिनांक 11.07.2007 का स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। अपीलकर्ता की मां ने अपने बेटे की उम्र के संबंध में दिनांक 26.07.2007 को एक बयान दिया। उससे विस्तार से जिरह की गई। 16.10.2007 को बोर्ड द्वारा नेहरू प्रिपरेटरी स्कूल के क्लर्क का बयान दर्ज किया गया था। उक्त क्लर्क विद्यालय द्वारा संधारित समस्त रिकार्ड ले आया। उक्त क्लर्क से भी विस्तार से जिरह की गई।

15. बोर्ड ने दिनांक 24.01.2008 के फैसले और आदेश के तहत अपीलकर्ता को अधिनियम के तहत किशोर घोषित किया। बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध शिकायतकर्ता श्रीमती मृतक नवाब की पत्नी खतीज़न ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के समक्ष अधिनियम की धारा 52 के तहत 2008 की आपराधिक अपील संख्या 11 दायर की। यह बताना प्रासंगिक है कि राज्य, जो अभियोजन एजेंसी है, ने कोई अपील दायर नहीं की।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर ने 07.08.2008 को नेहरू प्रिपरेटरी स्कूल, दधेरू, खुर्द-ओ-कलां, मुजफ्फरनगर के प्रिंसिपल गुलजार हुसैन का बयान दर्ज किया। आदेश दिनांक 13.01.2009 द्वारा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता द्वारा दायर उक्त अपील को स्वीकार कर लिया और बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2008 को अपास्त कर दिया।

16. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 716/2009 दायर की। उच्च न्यायालय ने उक्त पुनरीक्षण को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि किसी भी मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्र के अभाव में और नियम 12 में इस्तेमाल की गई भाषा को केवल "प्रमाणपत्र" के संदर्भ में मानते हुए और "मार्कशीट" के संदर्भ में नहीं मानते हुए, पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

17. हाई स्कूल परीक्षा की मार्कशीट में जन्म तिथि से संबंधित प्रविष्टि के बारे में हम पहले ही इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर चुके हैं। अपीलकर्ता ने स्कूल प्राधिकारी, नेशनल हाई स्कूल, दधेरू, खुर्द-ओ-कलां, मुजफ्फरनगर द्वारा जारी हाई स्कूल परीक्षा की मार्कशीट पेश की है। उपर्युक्त प्रमाण पत्र के अवलोकन से अपीलकर्ता के रोल नंबर, उसका नाम, जन्म तिथि, स्कूल का नाम, विभिन्न विषयों से संबंधित विवरण, अधिकतम अंक, प्राप्त अंक और परीक्षा में अंतिम परिणाम का संदर्भ मिलता है। प्रमाण पत्र पर इसे तैयार करने वाले क्लर्क सलीम अहमद के हस्ताक्षर, परीक्षक के हस्ताक्षर और हेड मास्टर के हस्ताक्षर और मुहर शामिल थे। इसकी दिनांक 21.05.2004 है।

18. अपीलकर्ता द्वारा एक अन्य दस्तावेज पर भरोसा किया है जो नेहरू प्रिपरेटरी स्कूल, खुर्द, मुजफ्फरनगर द्वारा जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र दिनांक 11.07.2007 है जिसमें पंजीकरण संख्या, स्कूल का नाम, छात्र का नाम, जन्म तिथि (18.06.1989) अंकित है। शब्दों में भी लिखा है, पिता का नाम, व्यवसाय, जाति, आवासीय पता, स्कूल में प्रवेश की तारीख, स्कूल छोड़ने की तारीख। प्रमाणपत्र में हेड मास्टर के हस्ताक्षर और मुहर थी और उस पर दिनांक 11.07.2007 अंकित है।

19. ऊपर प्रस्तुत दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अपीलकर्ता की जन्म तिथि 18.06.1989 अंकित की गई थी। नियमों के नियम 12 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि मेडिकल बोर्ड से चिकित्सकीय राय तभी मांगी

जानी चाहिए जब मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र या किसी निगम या किसी पंचायत या नगर पालिका द्वारा जारी कोई जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो। हमारा विचार है कि यद्यपि बोर्ड ने मार्कशीट और स्कूल प्रमाणपत्र में जन्मतिथि से संबंधित प्रविष्टि को सही ढंग से स्वीकार कर लिया है, लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने उन दस्तावेजों में अंकित जन्म तिथि की अनदेखी करते हुए अपीलकर्ता की आयु निर्धारित करने में गंभीर त्रुटि की है जो अवैध, ग़लत और नियमों के विपरीत है।

20. हम इस बात से संतुष्ट हैं कि मार्कशीट में दर्ज जन्मतिथि से संबंधित प्रविष्टि आरोपी व्यक्ति की उम्र के निर्धारण के लिए वैध सबूतों में से एक है। स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र भी आरोपी व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने में एक वैध प्रमाण है। इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत हाई स्कूल की मार्कशीट में उल्लिखित जन्मतिथि की दसवीं कक्षा के अपीलकर्ता के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत पुष्टि की गई है और इसे नेहरू हाई स्कूल, दधेरू ख़ुर्द- ओ-कलां के क्लर्क के बयान से भी साबित किया गया है। जो कि बोर्ड द्वारा रिकॉर्ड किया गया। नेहरू प्रिपरेटरी स्कूल, दधेरू, खुर्द-ओ-कलां, मुजफ्फरनगर के प्रधानाचार्य द्वारा जारी स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में अपीलकर्ता की जन्म तिथि 18.06.1989 दर्ज की गई है, साथ ही स्कूल रजिस्टर क्रमांक 1382 पर में भी उक्त जन्म तिथि अंकित है। जो बोर्ड के समक्ष दर्ज उस विद्यालय के प्राचार्य के बयान से साबित है।

स्कूल के क्लर्क और प्रिंसिपल के अलावा, अपीलकर्ता की मां ने शपथ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता का जन्म 18.06.1989 को हुआ था और प्रारंभिक से लेकर दसवीं कक्षा तक के शैक्षणिक रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि एक ही है, अर्थात्, 18.06.1989, इसलिए उनके बयान ने उनके अकादमिक रिकॉर्ड की पुष्टि की, जो स्पष्ट रूप से उनकी जन्मतिथि 18.06.1989 दर्शाता है। तदनुसार, अपीलकर्ता घटना की तारीख यानी 04.06.2007 को किशोर था, जैसा कि 04.06.2007 की एफआईआर में कथित है।

21. हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि अधिनियम के अनुसरण में लाए गए नियमों के नियम 12 में साक्ष्य की चार श्रेणियों का वर्णन किया गया है जिसमें मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर स्कूल प्रमाणपत्र को प्राथमिकता दी गई है।

22. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम मानते हैं कि स्वीकार्य रिकॉर्ड से, अपीलकर्ता की जन्म तिथि 18.06.1989 है, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाने में त्रुटि की। बोर्ड के फैसले को बरकरार रखते हुए, हमने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 13.01.2009 और उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.12.2010 को अपास्त कर दिया। तदनुसार, अपीलकर्ता को अपराध करने की तिथि पर किशोर घोषित किया जाता है और उस पर विधिनुसार कार्रवाई की जा सकती है। अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुनीता मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।